न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(गौरव अग्रवाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 57/2017
प्रविष्टि दिनांक 11–5–2017

बदरी पुत्र नानगा गुर्जर निवासी महुआ तहसील उनियारा जिला टोंक राज0 –अपीलाण्ट

बनाम

नायब तहसीलदार उनियारा जिला– टोंक –रेस्पांडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार उनियारा दिनांक 23–2–2017

उपस्थिति :- (1) श्री जितेन्द्र कुमार जैन अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री जुगनू शर्मा,राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक 15–3–2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार उनियारा ने अपने निर्णय दिनांक 23–2–2017 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 21/833 रकबा 0.50 है0 वाके ग्राम महुआ पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर भूमि से बेदखल करने पेनल्टी कायम कर फसल जप्त कर नीलाम करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार उनियारा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट को नायब तहसीलदार उनियारा द्वारा निर्णय से पूर्व नोटिस नहीं दिया है ओर नोटिस पर अपीलान्ट की विधिवत् व्यक्तिशः तामिल नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना एक पक्षीय निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट ने कभी किसी प्रकार राजकीय भूमि पर जानबुझकर अतिकमण नहीं किया है तथा अपीलान्ट की सरकारी भूमि पर अतिकमण या कब्जा करने की कोई भावना नहीं है। पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के विरूद्व अन्य लोगों के बहकावे [illegible] स्थिति के विपरीत जाकर झूठी एंव गलत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्[illegible] तथा उन्होने मोका रिपोर्ट पर एकतरफा विश्वास करते हुए नि[illegible] जाने योग्य है। निर्णय के बारे में अपीलान्ट को प[illegible] करने की धमकी दिये जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:13:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

पर ज्ञात हुआ। दिनांक 2–5–2017 को अपीलान्ट ने निर्णय की नकलें लेने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया तथा दिनांक 3–5–2017 को तहसील कार्यालय से नकल प्राप्त कर यह अपील बिना किसी विलम्ब के पेश की जा रही है। अपील पेश करने में फिर भी यदि देरी मानी जावे तो उसे कन्डोन करने के लिए अलग से धारा–5 लि0 एक्ट प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से पेश किया जा रहा है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय 23–2–2017 निरस्त फरमाया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट ने राजकीय भूमि खसरा नम्बर 21/833 रकबा 0.50 है0 वाके ग्राम महुआ तह0 उनियारा पर सरसों की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी किया गया था किन्तु अपीलान्ट बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट ने सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर तलब किया गया है किन्तु नोटिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील नहीं हुई है। नोटिस पर कोशला अंकित है। जिससे यह साबित नहीं है कि अपीलान्ट की तामील विधिवत करवाई गई हो। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। नायब तहसीलदार उनियारा द्वारा अपीलान्ट की बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23–2–2017 अपास्त किया जाकर नायब तहसीलदार उनियारा को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर समस्त रिकार्ड/कब्जे की जांच कर पुनः विधिवत निर्णय पारित करें। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15–3–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलेक्टर
टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:13:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner